न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(चिन्मयी गोपाल, आई.ए.एस द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 27 / 2018
प्रविष्टि दिनांक 19.02.2018

श्रीपाल गुर्जर पुत्र हरनाथ जाति गुर्जर निवासी मण्डालिया तहसील निवाई जिला टोंक राज0

अपीलान्ट

बनाम

जिला रसद अधिकारी टोंक राज0

रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 07.09.2017 जिला रसद अधिकारी टोंक

उपस्थितिः–
1. श्री जितेन्द्र कुमार जैन,अभिभाषक –अपीलान्ट
2. पेराकार सरकार –रेस्पाडेन्ट

<u>निर्णय</u> दिनांक 10.10.2022

अपील अपीलान्ट का सांराश इस प्रकार है कि जिला रसद अधिकारी टोंक ने आदेश दिनांक 07.09.2017 से श्री श्रीपाल गुर्जर,उचित मूल्य दुकानदार ग्राम मण्डालिया तहसील निवाई का प्राधिकार पत्र की शर्तो का उल्लंघन मानते हुए अप्रार्थी डीलर की जमाशुदा सम्पूर्ण प्रतिभूत राशि 1000 रूपये जब्त सरकार करते हुये प्राधिकार पत्र को निरस्त किये जाने पर उक्त आदेश से अपीलान्ट व्यथित होकर अपील प्रस्तुत की है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पाडेन्ट की गई तथा अपीलाधीन आदेश की पत्रावली तलब की गई। अभिभाषक अपीलांट एंव पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

अभिभाषक अपीलान्ट ने दोराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अपीलान्ट के विरूद्ध किसी भी प्रकार का काला बाजारी का आरोप नही है। अपीलान्ट द्वारा किसी भी प्रकार की अनियमितताएं नहीं बरती गई है। अपीलान्ट के विरूद्ध गलत रूप से यह आरोप लगाया है कि बरवक्त निरीक्षण दिनांक 17.04.2017 को निरीक्षणार्थ प्राधिकार पत्र प्रस्तुत नहीं किया, जबकि उनके समक्ष प्राधिकार पत्र प्रस्तुत कर दिया गया था। अपीलांट पर यह भी आरोप लगाया है कि मूल्य एवं स्टॉक सूचना बोर्ड का प्रदर्शन होना नहीं पाया गया,उचित मूल्य दुकान पर सूचना पट्ट लगा हुआ नहीं पाया गया तथा कार्यालयो के दूरभाष नम्बर एवंम अन्य सूचनाओं का प्रदर्शन भी नहीं पाया गया,निरीक्षण के समय [illegible] हेतु प्रस्तुत नही किया गया,मौके पर पूर्व के स्टॉक रजिस्टर आदि प्रस्तुत नही किय। [illegible] गलत रूप से अपीलांट के विरूद्ध लगाये गये है तथा मिथ्या आरोप [illegible] कि किसी [illegible] प्रकार से साबित नही होते है। सभी आरोप केवल मात्र तकनीकी शिकायत [illegible] आदेश की [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:51:41 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)
सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर
टोंक

उल्लधंन नही किया गया है। जिला रसद अधिकारी द्वारा गलत निर्णय पारित किया गया जिसे निरस्त किया जावे।

पेरोकार सरकार ने जवाबी बहस में कथन किया कि दिनांक 02.05.2014 को ग्राम मण्डालिया तहसील निवाई के उचित मूल्य दुकानदार श्रीपाल गुर्जर द्वारा अनियमितताऐ किये जाने बाबत रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट मे वक्त निरीक्षण दिनांक 17.04.2017 को निरीक्षणार्थ प्राधिकार पत्र प्रस्तुत नहीं किया। मूल्य एवं स्टॉक सूचना बोर्ड का प्रदर्शन नहीं होना पाया गया। उचित मूल्य दुकान पर सूचना पट्ट नहीं लगा हुआ पाया गया एंव ना ही कार्यालयों के दूरभाष नम्बर व अन्य सूचनाओं का प्रदर्शन पाया गया। वक्त निरीक्षण युनिट रजिस्टर निरीक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। मौके पर पूर्व के स्टॉक रजिस्टर आदि प्रस्तुत नहीं किये गये। जिनके अभाव में जांच कार्य पूर्ण नहीं हो पाया। उक्त अनियमितता कर डीलर द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 5.8. व 10 का प्रथम दृष्ट्या उल्लंघन किये जाने के कारण डीलर को कारण बताओ नोटिस क्रमांक 509 दिनांक 19.05.2014 जारी किया गया। डीलर को कार्यालय हाजा द्वारा उक्त कारण बताओ नोटिस जारी करने के पश्चात भी सुनवाई हेतु नियत तिथि दिनांक 02.07.2014 को डीलर उपस्थित नहीं हुआ। तत्पश्चात आगामी तारीख पेशी दिनांक 07.08.2014 नियत की गई। डीलर दिनांक 04.09. 2014 को भी अनुपस्थित रहा है। डीलर को बार-बार कार्यालय हाजा द्वारा नोटिस क्रमांक 1467 दिनांक 19.11.2014,कमांक 400 दिनांक 10.02.2015,क्रमांक 605 दिनांक 07.09.2015,1854 दिनांक 09.12.2015 एवं 401 दिनांक 08.03.2016 सुनवाई हेतु उपस्थित होने बाबत जारी किये गये,परन्तु डीलर सुनवाई हेतु दिनांक 09.03.2015 के अतिरिक्त कार्यालय हाजा में उपस्थित नहीं हुआ। उचित मूल्य दुकानदार द्वारा कारण बताओ नोटिस का जवाब दिनांक 08.10.2014 को दिया गया है। डीलर ने जवाब मे अवगत कराया है कि निरीक्षण के दिन वह बिल लेने निवाई गया हुआ था,उसका पुत्र उसके स्थान पर था जिसे प्राधिकार पत्र व पूर्व के स्टॉक रजिस्टर का पता नहीं होने के कारण वह प्रस्तुत नहीं कर सका।डीलर द्वारा जॉच हेतु रिकार्ड उपलब्ध नहीं कराकर अपने कृर्तव्य की पालना नहीं करते हुए जॉच कार्य को बाधित किया गया है। चूंकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कार्य आम गरीब जन से जुड़ा हुआ है। इसलिए आम उपभोक्ता की सहज पहुँच में सूचनाऐं अंकित होनी चाहिए ताकि पारदर्शिता बनी रहे। इस प्रकार अप्रार्थी डीलर द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 5,7,8,10,11 व 18 का उल्लंघन किया गया है।अपीलाण्ट द्वारा प्राधिकार पत्र की शर्तो का उल्लधंन करने पर प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया। अतः अपील अपीलाण्ट निरस्त की जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट व पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया तथा अपीलाधीन आदेश की पत्रावली एवं दस्तावेजात का अध्ययन किया। श्रीपाल गुर्जर, उचित मूल्य दुकानदार ग्राम मण्डालिया तहसील निवाई की जांच प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा कर प्रस्तुत की गई। जांच मे वक्त निरीक्षण दिनांक 17.04.2017 को निरीक्षणार्थ प्राधिकार पत्र प्रस्तुत नहीं किया। मूल्य एवं स्टॉक सूचना बोर्ड का प्रदर्शन नहीं होना पाया गया। उचित मूल्य दुकान पर सूचना पट्ट नहीं लगा हुआ पाया गया एव ना ही कार्यालयों के दूरभाष नम्बर व अन्य सूचनाओं का प्रदर्शन पाया गया । वक्त निरीक्षण युनिट रजिस्टर निरीक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं किया। मौके पर पूर्व के स्टॉक रजिस्टर आदि प्रस्तुत नहीं किये गये ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:51:41 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)

जिला कलेक्टर
टोंक

अप्रार्थी डीलर को जिला रसद अधिकारी द्वारा बार–बार पत्र कमांक 509 दिनांक 19.05.2014,1467 दिनांक 19.11.2014,400 दिनांक 10.02.2015,605 दिनांक 07.09.2015,1854 दिंनाक 09.12.2015 तथा 401 दिनांक 08.03.2016 से नोटिस जारी करने के उपरान्त डीलर सिर्फ दिनांक 08.10.2014 को ही उपस्थित हुआ है। डीलर ने अपने जवाब मे वक्त निरीक्षण बिल लेने के लिये निवाई जाना अंकित किया है,परन्तु इसकी तायद मे अपने जवाब के साथ और ना ही अपील मीमो के साथ किसी भी बिल की प्रति प्रस्तुत नही की गई है। जिला रसद अधिकारी द्वारा डीलर को कई अवसर प्रदान किये जाने के उपरान्त भी अपीलांट (डीलर) द्वारा युनिट रजिस्टर, पूर्व के स्टॉक रजिस्टर आदि प्रस्तुत नहीं किये गये। जिनके अभाव में जांच कार्य पूर्ण नहीं हो पाया है।

अप्रार्थी डीलर द्वारा बदनियति से युनिट रजिस्टर व पूर्व के स्टॉक रजिस्टर आदि वक्त निरीक्षण के समय भी और कार्यालय (जिला रसद अधिकार)मे भी प्रस्तुत ना कर गम्भीर अनियमितता की है एवं प्राधिकार पत्र की शर्तों की अवहेलना की है। चूकिं सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कार्य आम गरीब जन से जुडा हुआ है। आम उपभोक्ता की सहज मे सूचनाये अंकित होनी चाहिए ताकि पारदर्शिता बनी रहे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया गया है। जिला रसद अधिकार टोंक ने अपीलाण्ट द्वारा राज0 खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण एवं विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 5,7,8,10,11 व 18 का उल्लधंन किये जाने के फलस्वरूप प्राधिकार पत्र को निरस्त किया गया। इस प्रकार उक्त आदेश मे किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाकर जिला रसद अधिकारी टोंक का आदेश दिनांक 07.09.2017 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज 10.10.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चिन्मयी गोपाल)
जिला कलेक्टर, टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर
सत्यमेव जयते
टोंक (राजस्थान)

Signature Not Verified

Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:51:41 IST
Reason: SelfAttested